न्यायालयः— अपर सत्र न्यायाधीश, पंचम, दानापुर

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या—1227 / 2026

मनेर थाना कांड संख्या— 409 / 2026

1. भूश कुमार उर्फ बिट्टू कुमार पिता स्व0 योगेन्द्र राय,
2. राकेश कुमार पिता स्व0 योगेन्द्र राय,
3. राजेश कुमार उर्फ मुकेश कुमार पिता स्व0 योगेन्द्र राय,
4. उपेन्द्र राय पिता रमन राय,
5. अखिलेश कुमार पिता परमा राय,
6. गोलू कुमार उर्फ नितीश कुमार पिता सुरेश राय,
7. निक्की कुमार पिता सुरेश राय।

साकिनान—माधोपुर,थाना—मनेर, जिला—पटना।

—————— अभियुक्तगण।

आवेदक की ओर से— श्री शिवमूर्ति सिंह, विद्वान अधिवक्ता।

अभियोजन की ओर से —श्री रामकेश्वर प्रसाद, वि0सहा0लोक अभियोजक।

आदेश

20.06.2026 मनेर थाना कांड संख्या—409 / 2026 धारा—191(2),190,126(2), 115(2),117(2),118(2),109,351(2)बी.एन.एस. से संबंधित है, के याची अभियुक्त की ओर से यह अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया है।

इस जमानत आवेदन पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि इस जमानत आवेदन के अतिरिक्त ना ही सत्र न्यायालय और ना ही माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल किया गया है। आवेदकगण का आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक निर्दोष है, इसने कोई अपराध नहीं किया है। अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत पर छोड़ने की प्रार्थना करते हैं।

विद्वान अपर लोक अभियोजक अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते हैं।

संक्षेप में सूचक का कथन है कि दिनांक—06.05.2026 को समय लगभग 10.00 बजे दिन में मैं अपने कार्य से ड्यूटी जा रहे थे, तभी माधोपुर तिनमुहानी के पास पहले से घात लगाकर गोलू कुमार, निक्की कुमार, राकेश कुमार, भुश कुमार, अखिलेश कुमार, उपेन्द्र राय एवं राजेश कुमार मुझे अचानक जान मारने की नियत से लोहा के रड से मारकर सिर काट दिया, जिससे काफी खुन बहने लगा। चिल्लाने की आबाज सुनकर निशान्त कुमार एवं शुभम कुमार बीच बचाव करने आये तो सभी लोगों ने मिलकर जान मारने की धमकी देते हुये मारपीट करने लगा, जिससे बायें गाल पर लोहे की रड से मारा, जिससे गाल फट गया और खुन बहने लगा। शुभम कुमार ललाट, हाथ एवं मूँह पर मारकर फोड़ दिया, काफी खुन बहने लगा, किसी तरह जान बचाये और जाते—जाते मुझे व पुरे परिवार को जान से मारने की घमकी देने लगा। उचित कार्रवाई करने की कृपा की जाए।

सुना। अभिलेख व कांड दैनिकी का अवलोकन किया। कांड दैनिकी के अवलोकन से विदित होता है कि जख्मियों पर कारित जख्म साधारण प्रकृति का है। उभय पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित सुलहनामा आवेदन की प्रति भी अभिलेख के साथ संलग्न है। सूचक आज स्वयं न्यायालय में हाजरी के साथ उपस्थित है, जिसने अग्रिम जमानत आवेदन पर लिखित दिया है

न्यायालयः– अपर सत्र न्यायाधीश, पंचम, दानापुर
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–1227/2026
मनेर थाना कांड संख्या– 409/2026

लगातार

20.06.2026

कि अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत दिया जाए, मुझे आपत्ति नहीं है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में उक्त अभियुक्तगण द्वारा भविष्य में इसतरह का अपराध नहीं करने का अंडरटेकिंग दाखिल करेंगे व एक–एक जमानतदार उनके निकट संबंधी होने पर आदेश की तिथि से 30 दिनों के अंदर निम्न न्यायालय में आत्मसमर्पण/गिरफ्तार होने पर, धारा–438(2) द.प्र.सं. में वर्णित शर्तों के अधीन मो0 10,000/–रू0 के दो प्रतिभू के बंधपत्र दाखिल करने पर अग्रिम जमानत पर छोड़े जाने का आदेश दिया जाता है। कार्यालय आदेश की प्रति विद्वान विचारण न्यायालय को प्रेषित करें।

लेखापित,

Sd/-

अ0स0न्याया0,पंचम,दानापुर।